संख्याः 839/XXIV-3/17/03(37)2015

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 25 सितम्बर, 2017

विषयः जीर्ण–शीर्ण योजनान्तर्गत विभिन्न विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/6260/जीर्ण–शीर्ण/2017–18, दिनांकः 01 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जीर्ण–शीर्ण योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विद्यालय में भवन निर्माण के चालू कार्य हेतु स्तम्भ–5 में अवशेष धनराशि के सापेक्ष संगत योजना की मानक मद में प्राविधानित बजट के आधार पर स्तम्भ–6 में उल्लिखित धनराशि रू0 88.00 लाख (रूपये अठासी लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, कोटद्वार	38.60	15.00	23.60	12.00
2.	राजकीय इण्टर कॉलेज, कोटद्वार	39.63	15.00	24.63	12.00
3.	राजकीय इण्टर कॉलेज, झण्डीचौड़	68.37	20.00	48.37	17.37
4.	राजकीय इण्टर कॉलेज, खिर्सू	45.45	19.45	26.00	12.00
5.	राजकीय इण्टर कॉलेज, निसनी	62.32	26.32	36.00	15.00
6.	राजकीय इण्टर कॉलेज, दिउली	152.63	30.00	122.63	19.63
कुल धनराशि					88.00

(1) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में प्रदत्त समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्त कार्यों की मूल स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्याः 2172/XXIV-3/15/03(33)2015 दिनांकः 09 दिसम्बर, 2015, शासनादेश संख्याः1570/XXIV-3/15/03(37)2015 दिनांकः 05 दिसम्बर, 2015, शासनादेश संख्याः1292/XXIV-3/15/03(26)2015 दिनांकः 28 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्याः1712/XXIV-3/16/03(06)2014 दिनांकः 10 नवम्बर, 2016 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(6) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व मदवार दर विश्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(8) कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(07)2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य पूर्ण कराया जाना अनुमोदित लागत में ही सुनिश्चित कर भवन शीघ्र विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किसी भी कारण से पुनः आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(10) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(11) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में उल्लिखित नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

(12) कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

(13) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का, कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराना सनिश्चित किया जाय।

(14) कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित वित्तीय/भौतिक प्रगति हेतु निरंतर अनुश्रवण कर कार्य निर्धारित समयसारिणी के अनुरूप समयबद्व रूप से पूर्ण कराते हुए स्वीकृत धनराशि से ही समस्त कार्य पूर्ण कर भवन विभाग को हस्तगत कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 00–आयोजनागत, 202–माध्यमिक शिक्षा, 11–राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण, 24–वृहद निर्माण कार्य की मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 839/XXIV-3/17/03(37)2015, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी पौड़ी।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9. संबंधित निर्माण एजेन्सी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(महिमा)
उप सचिव।